रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] नई दिल्ली, बहस्पतिवार, जनवरी 3, 2019/पौष 13, 1940
No. 23] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 3, 2019/PAUSHA 13, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2019

का.आ. 27(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 778 (अ) तारीख 21 फरवरी, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 22 फरवरी, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए है;

अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य, महाराष्ट्र के धूले और जलगांव जिले में धूले से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है और पूर्व की ओर अक्षांश 21°23'02.37" पूर्व की ओर और 21°26'51" पश्चिम की ओर और देशान्तर 75°0'56" उत्तर की ओर और 75° 06'57" दक्षिण की ओर के बीच 82.95 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य की महत्वपूर्ण वनस्पतियां टीक (*टेक्टोना ग्रेंडिस*), सदादा (*टर्मिनालिया टोमेन्टोसा*), शिसम (*डलबर्गिया लैटीफोलिया*), धावाडा (*एनोगेइसस लैटिफोलिया*), सालाई (*बोसवेलिया सेर्राटा*), बोंडारा (*लेजरस्ट्रोमिया परविफ्लोरा*), सावर (*सल्मालीया मालाबारिका*), टेम्पबर्न (*डिओस्पिरस मेलेनॉक्सिलॉन*), कुसुम (*श्लेइचेरा योलोसा*), महुवा (*मधुका इंडिका*), उम्बार (*फिकुस ग्लोमेराटा*), कडाई (*स्ट्रेक्युलिया युरेंस*), अर्जुन सादादा (*टर्मिनालिया अर्जुना*), आवला (*एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस*) खैर (*अकाकिया कैटेचु*), अंजन (*हार्डविकिया बिनाटा*), पलास (*बुटीया मोनोस्पर्मा*), मेडसिंग (*डॉलिचेंडरोन फल्काटा*), बबुल (*अकाकिया नीलोटिका*), बोर (*ज़िज़िफस मौरिटियाना*), अप्टा (*बौहिनिया रेसमोसा*) अर्जुन साडा (*टर्मिनालिया अर्जुना*), घाटबोर (*ज़िज़िफस एक्सिलोपीरा*), मोहा (*मधुका इंडिका*), निंब (*अज़ादिरैक्टा इंडिका*), प्रोसोपिस (*प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा*), सालाई (*बोसवेलिया सेर्राक*), आदि हैं;

और, अनेर बांध अभयारण्य अपनी जैव-विविधता के लिए जाना जाता है। जहां जैव विविधता मूल्यों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण विभिन्न प्रजातियों के पक्षी, तितली, सांप, स्तनपायी, कृन्तक, मेंढक, बिच्छु, और घास तेंदुआ (*पैंथेरा पार्डस*), भारतीय भेड़िया (*कैनिस लुपस*), इंडियन गैज़ेल (*गैज़ेल बेनेटेटी*) और मछली खाने वाले ईगल (*पांडियोन हेलियटिस*) अनुसूची 1 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत अभयारण्य में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं; अभयारण्य में अभिलिखित अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियां मुंजक (*मुन्तिकस मुंटजक*), एशियाई जैकल (*कैनिस ओरेस*), ग्रे लोमड़ी (*वुल्पस बेंगेलेंसिस*), लकड़बग्घा (*हेनेना हेनेना*), बनैला सूअर (*सस स्क्रोफा*), साही (*हाइस्ट्रिक्स इंडिका*), सामान्य नेवला (*हर्पेस्टेस एडवार्सी*), भारतीय खरगोश (*लेपस निग्रिकोलिस*), जंगली बिल्ली (*फेलीस चॉस*), सारास क्रेन (*एंटीगोन एंटीगोन*), वन उल्लू (*हेटरोग्लोक्स ब्लेविट्टी*), लेजर एंडजुटेंट स्टॉक (*लेप्टोप्लिओस जवानिकस*), एशियाई वूलीयनेक (*सिकोनिया एपिसकोपस*), सामान्य बटेर (*कोटर्निक्स कोटर्निक्स*), कैटल एग्रेट (*बल्कस इबिस*), ग्रेट एग्रेट (*आर्देबा अल्बा*), लिटिल कॉर्मोरेंट (*माइक्रोकर्बो नीगर*), ग्रे हेरॉन (*आर्डेया सिनेरिया*), ब्राह्ममिणी स्कील्डक (*टैडोर्ना फेरगिनिया*), कॉमन बार्न ऑउल (*टाइटो अल्बा*), पेंटेड स्टोर्क (*माईटेरिया ल्यूकाकुफला*) हैं;

और, अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य, के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य (इस अधिसूचना में मानचित्र को उपाबंध-I में दर्शाया गया है) के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 0.1 किलोमीटर से 3.0 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--**(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर **0.1 किलोमीटर से 3.0 किलोमीटर** तक फैला हुआ है; पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र **69.42 वर्ग किलोमीटर** है।

(2) अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** में दिया गया है।

(3) अक्षांश और देशांतर के साथ अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र इसके सीमा विवरण के साथ **उपाबंध-II क-ङ** के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशाक **उपाबंध-III** में दिया गया है।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राजपत्र में इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करके आंचलिक महायोजना तैयार करेगी राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में और सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप भी और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी बातों को समाकलित करने के लिए राज्य के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज; और

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और अधिक प्रभावी और पारिस्थितिकी अनुकूल क्रियाकलाप कारक इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और इस योजना के मानचित्र के साथ विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं का विवरण संलग्न होगा ।

(7) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिकी अनुकूल विकास के लिए पैरा 4 की सारणी में सूची बद्ध विनियमित करेगी और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध, विनियम और संवर्धित क्रियाकलापों का अनुसरण करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-अंतक होगी ।

(9) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे पारिस्थितिकी अनुकूल विकास स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन सुरक्षा के लिए सुनिश्चित किया जा सके ।

(10) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के अनुसार में अपने कृत्यों का पालन करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज इस प्रकार अनुमोदित करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग. –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे कि:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(iv) कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक हैं जिसमें ग्रह वास सम्मिलित है;और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप जो पैरा 4 में दिया गया है:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों के अंतर्गत राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त गलती के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण के और पर्यावास और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों -** आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुजीवन के लिए योजना सम्मिलित होगी राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में या उनके निकट विकास क्रियाकलापों जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक है, को प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार करेगा।

(3) **पर्यटन.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और सैरगाहों का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और परिनिश्चित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण

प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र में किसी नए होटल/सैरगाह या वाणिज्यिक स्थापन के संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा और उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल . -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी जो आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** .- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (29 का 1986) के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** .- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों के अन्तर्गत आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण तत्वों के निस्सारण के लिए सामान्य मानकों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन.-** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटरी करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छ ईंधन के उपयोग के लिए किए गए प्रयास उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी आदि हैं ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-**

(i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के बाद या प्रकाशन में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में केवल गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण. -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) संशोधनों सहित द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टीका-टिप्पणी**
(1)	(2)	(3)
	क. **प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप**	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और तोड़ने की इकाईयों को व्यक्तिगत उपभोग के लिए मकानों के सन्ननिर्माण या मरम्मत के लिए और भूमि को खोदने या मकानों के लिए देसी टाइल्स या ईंटों के निर्माण के प्रतिनिर्देश से स्थानीय निवासियों के सदभाविक घरेलू आवश्यकताओं के सिवाए प्रतिषिद्ध किया जाएगा। (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में किया जायेगा ।
2.	प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योगों और विद्यमान प्रदूषणकारी उद्योगों को या उनके विस्तार को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जब तक कि इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न किया जाए, केवल नए गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और गैर प्रदूषण कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	प्रमुख थर्मल और हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्ठों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	ख. **विनियमित क्रियाकलाप**	
8.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी लघु अस्थायी संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और विश्राम स्थलों को अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं । परंतु, पारिस्थितिकी संवेदी जोन आगे या उसके विस्तार तक, जो भी निकट

		हो के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर से सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु, स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी। (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण करना; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना ; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रह-वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप। परन्तु गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
12.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
13.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण सतही और भूमिगत जल अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
14.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र और जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, आदि को उडाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
15.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

	(एनटीएफपी) का संग्रहण ।	
16.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने और तार-बिछाने और अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जाएगा।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	जब तक आंचलिक महायोजना के अधीन अनुज्ञात न किया जाए जब तक 1 से 10 डिग्री के पहाड़ी ढलानों पर और किसी नदी तट और प्राकृतिक नाले से 100 मीटर तक कोई संन्निर्माण क्रियाकलाप नहीं किया जाएगा।
19.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
20.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
23.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
24.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग की अनुमति है। तथापि विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर, यह लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	इसकी व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
27.	वायु और यानीय प्रदूषण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	बायोडेग्रिडेबल सामग्री का पुन:चक्रण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर वन्यजीव, होटल या अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के मुक्त आवागमन की अनुमति देने के लिए बार्बेड तार के साथ बाड़ के गुण को नहीं बना पाएंगे और कोई बाड़ एक मीटर से अधिक नहीं होगा। इस शर्त के अनुपालन में कोई विद्यमान बाड़ आंचलिक महायोजना में उल्लिखित समय रेखाओं के अनुसार संशोधित नहीं किया जाएगा।
30.	ट्रेकिंग और कैम्पिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
31.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
32.	सामुदायिक आरक्षित प्रकृति।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	ग. **संवर्धित क्रियाकलाप**	
33.	चल रहे कृषि प्रथाओं, वृक्षारोपण और अन्य वानिकी गतिविधि।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

38.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	वृक्षारोपण और अन्य वानिकी गतिविधि।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
43.	अवक्रमित भूमि/वनों या वास-स्थलों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
44.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
45.	पारिस्थितिकी-पर्यटन क्रियाकलाप में रहने वाले वास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
46.	अपशिष्ट सामग्री द्वारा ऊर्जा उत्पादन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
47.	पंजीकृत जैव विविधता समिति।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति.- केंद्रीय सरकार इस अधिसूचना के निगरानी समिति गठन करेगी, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

1.	कलक्टर धूले	अध्यक्ष
2.	कलक्टर, जलगांव का प्रतिनिधि	सदस्य
3.	सीईओ, जिला परिषद, धूले	सदस्य
4.	प्रत्येक मामले में वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे एनजीओ का एक प्रतिनिधि।	सदस्य
5.	पारिस्थितिकी विशेषज्ञ	सदस्य
6.	जैव विविधता विशेषज्ञ	सदस्य
7.	पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ	सदस्य
8.	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्र के महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।	सदस्य
9.	क्षेत्र का वरिष्ठ नगर योजनाकार	सदस्य
10.	वन संरक्षक (वन्यजीव), नासिक	सदस्य
11.	उप वन संरक्षक, धूले संभाग	सदस्य-सचिव

6. निर्देश शर्तें.-

(1) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों,

जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित उद्यान उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपने क्रियाकलापों की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध V** में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. **अतिरिक्त उपाय :-** इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. सर्वोच्च न्यायालय, आदि आदेश :- इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा.सं. 25/92/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध–I

अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य पूर्व पश्चिम भाग में क्षैतिज फैला हुआ है। क्षेत्र पारिस्थितिकी संवेदी जोन में शामिल दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रकार आते है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमांए धुले वन संभाग के शिरपुर श्रेणी के कम्पार्टमेंटों और यवल वन संभाग के चौपाडा श्रेणी के कम्पार्टमेंटों और धुले और जलगांव जिला के शिरपुर और चौपाडा तहसीलों के राजस्व क्षेत्र द्वारा घिरे हुए को क्रमशः नीचे दिया गया है।

सारणी

उत्तर	धुले वन संभाग, शिरपुर श्रेणी के रोहिणी के चारों ओर के कम्पार्टमेंट सं. 1001, 1004, 1005, 1006, 992, 975 की सीमाएं;
	धुले जिला शिरपुर तहसील में सुले और लकडया हनुमान ग्रामों के राजस्व क्षेत्र और शिरपुर श्रेणी के सुले के चारों ओर के कम्पार्टमेंट सं. 969 की सीमाएं।
पश्चिम	धुले जिला शिरपुर तहसील के सुले और नटवाडे ग्रामों के राजस्व क्षेत्र और शिरपुर श्रेणी के सुले के चारों ओर के कम्पार्टमेंट सं. 982, 985, 986 की सीमाएं।
दक्षिण	शिरपुर श्रेणी के सुले के चारों ओर के कम्पार्टमेंट सं. 1014, 1015 की सीमाएं;
	धुले वन संभाग, शिरपुर श्रेणी के हिसले के चारों ओर के कम्पार्टमेंट सं. 1016, 1017, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1053, 1052, 1054, 1055, 1056, 1057।
पूर्व	यवल वन संभाग, चौपाडा श्रेणी के लसुर के चारों ओर के कम्पार्टमेंट सं. 282, 283, 287 की सीमाएं;
	जलगांव जिला चौपाडा तहसील सतारा सेन ग्राम के राजस्व क्षेत्र।

उपाबंध II क

भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ संरक्षित क्षेत्र के अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

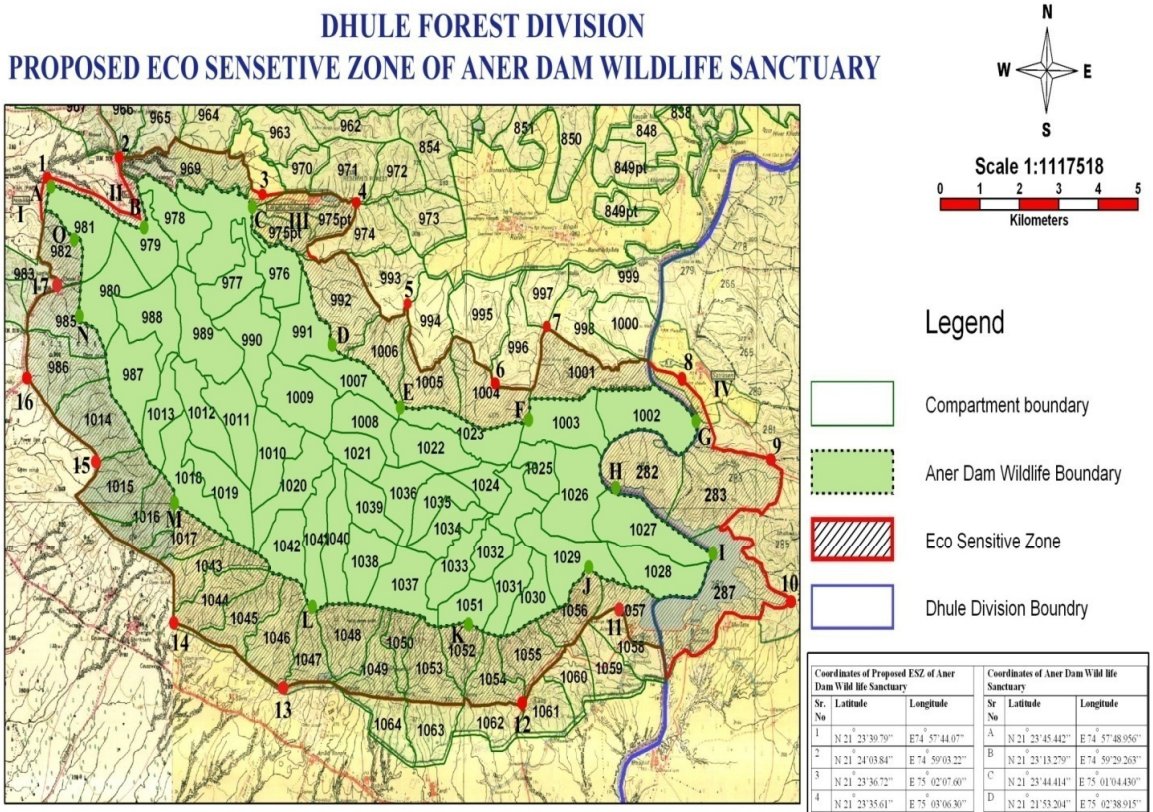

SR NO	NAME OF VILLAGES	LATITUDE	LONGITUDE
1	2	3	4
I	Natwada(Dhule Dist)	N21° 23'38.659"	E74° 57' 08.240"
II	Sule(Dhule Dist)	N21° 23' 40.908"	E74° 59' 04.484"
III	La.Hanuman(Dhule Dist)	N21° 23'35.226"	E75° 02' 20.462"
IV	Satrasen(Jalgaon Dist)	N21° 21'37.549"	E75° 09' 05.185"

Coordinates of Proposed ESZ of Aner Dam Wild life Sanctuary		
Sr. No	Latitude	Longitude
1	N 21° 23'39.79"	E74° 57'44.07"
2	N 21° 24'03.84"	E 74° 59'03.22"
3	N 21° 23'36.72"	E 75° 02'07.60"
4	N 21° 23'35.61"	E 75° 03'06.30"
5	N 21° 22'22.591"	E 75° 03'58.792"
6	N 21° 21'24.113"	E 75° 05'45.443"
7	N 21° 22'07.503"	E 75° 06'22.965"
8	N 21° 21'24.460"	E 75° 08'46.038"
9	N 21° 20'31.773"	E 75° 10'18.544"
10	N 21° 18'49.847"	E 75° 10'30.658"
11	N 21° 18'49.417"	E 75° 07'40.062"
12	N 21° 17'33.815"	E 75° 06'02.472"
13	N 21° 17'48.361"	E 75° 01'54.639"
14	N 21° 18'32.245"	E 75° 00'07.825"
15	N 21° 20'28.353"	E 74° 58'42.891"
16	N 21° 21'27.392"	E 74° 57'28.396"
17	N 21° 22'30.983"	E 74° 58'00.118"

Coordinates of Aner Dam Wild life Sanctuary		
Sr. No	Latitude	Longitude
A	N 21° 23'45.442"	E 74° 57'48.956"
B	N 21° 23'13.279"	E 74° 59'29.263"
C	N 21° 23'44.414"	E 75° 01'04.430"
D	N 21° 21'53.204"	E 75° 02'38.915"
E	N 21° 21'09.459"	E 75° 03'51.902"
F	N 21° 20'58.867"	E 75° 06'05.398"
G	N 21° 20'53.902"	E 75° 08'59.483"
H	N 21° 20'37.644"	E 75° 07'22.527"
I	N 21° 19'26.288"	E 75° 09'17.483"
J	N 21° 19'17.578"	E 75° 07'08.011"
K	N 21° 18'40.115"	E 75° 04'18.963"
L	N 21° 18'43.667"	E 75° 02'22.092"
M	N 21° 19'58.981"	E 75° 00'00.000"
N	N 21° 22'07.632"	E 74° 58'19.210"
O	N 21° 23'07.692"	E 74° 58'20.532"

उपाबंध II ख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

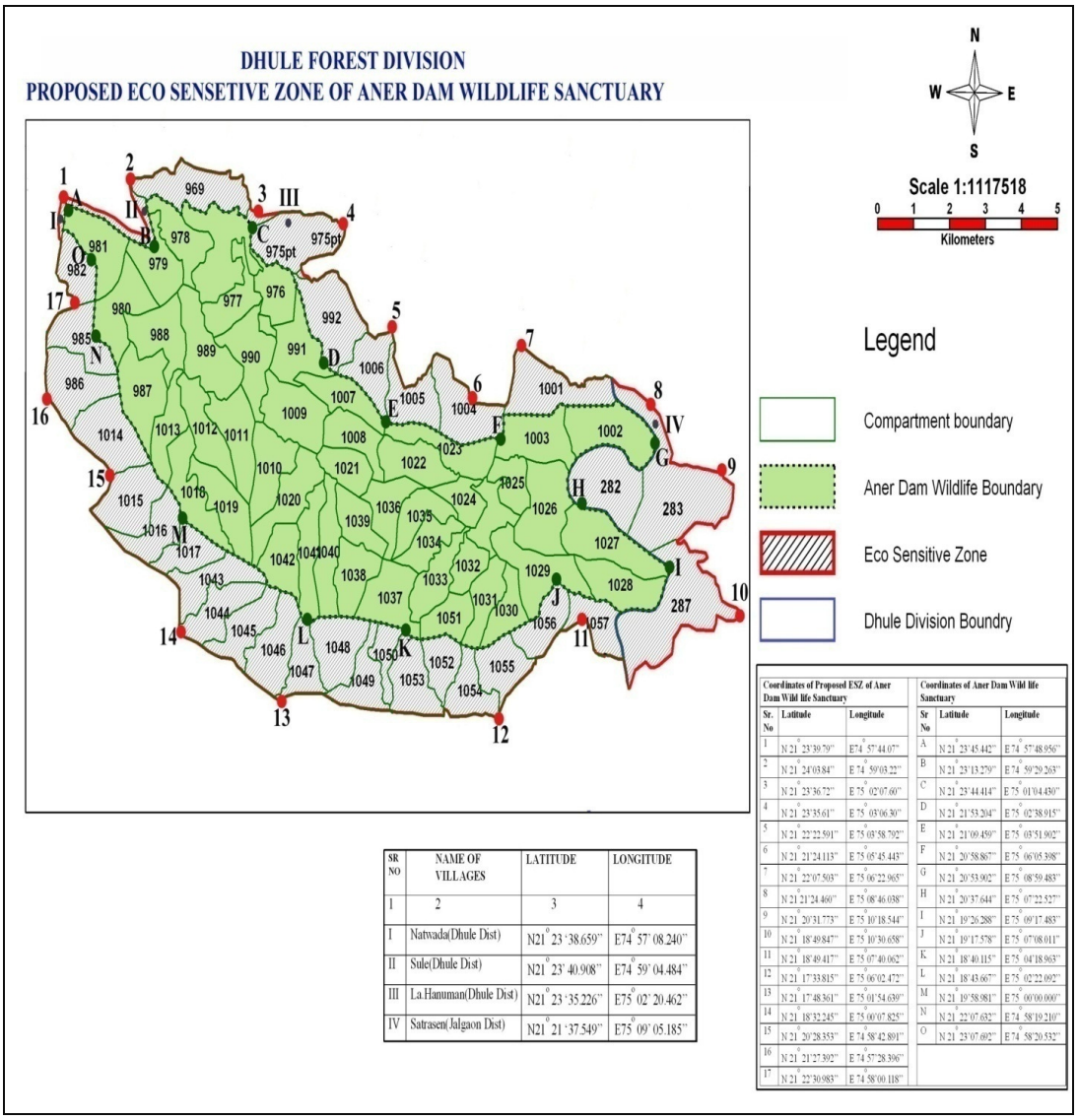

SR NO	NAME OF VILLAGES	LATITUDE	LONGITUDE
1	2	3	4
I	Natwada(Dhule Dist)	N21° 23'38.659"	E74° 57' 08.240"
II	Sule(Dhule Dist)	N21° 23' 40.908"	E74° 59' 04.484"
III	La.Hanuman(Dhule Dist)	N21° 23'35.226"	E75° 02' 20.462"
IV	Satrasen(Jalgaon Dist)	N21° 21'37.549"	E75° 09' 05.185"

Coordinates of Proposed ESZ of Aner Dam Wild life Sanctuary		
Sr. No	Latitude	Longitude
1	N 21° 23'39.79"	E74° 57'44.07"
2	N 21° 24'03.84"	E 74° 59'03.22"
3	N 21° 23'36.72"	E 75° 02'07.60"
4	N 21° 23'35.61"	E 75° 03'06.30"
5	N 21° 22'22.591"	E 75° 03'58.792"
6	N 21° 21'24.113"	E 75° 05'45.443"
7	N 21° 22'07.503"	E 75° 06'22.965"
8	N 21° 21'24.460"	E 75° 08'46.038"
9	N 21° 20'31.773"	E 75° 10'18.544"
10	N 21° 18'49.847"	E 75° 10'30.658"
11	N 21° 18'49.417"	E 75° 07'40.062"
12	N 21° 17'33.815"	E 75° 06'02.472"
13	N 21° 17'48.361"	E 75° 01'54.639"
14	N 21° 18'32.245"	E 75° 00'07.825"
15	N 21° 20'28.353"	E 74° 58'42.891"
16	N 21° 21'27.392"	E 74° 57'28.396"
17	N 21° 22'30.983"	E 74° 58'00.118"

Coordinates of Aner Dam Wild life Sanctuary		
Sr No	Latitude	Longitude
A	N 21° 23'45.442"	E 74° 57'48.956"
B	N 21° 23'13.279"	E 74° 59'29.263"
C	N 21° 23'44.414"	E 75° 01'04.430"
D	N 21° 21'53.204"	E 75° 02'38.915"
E	N 21° 21'09.459"	E 75° 03'51.902"
F	N 21° 20'58.867"	E 75° 06'05.398"
G	N 21° 20'53.902"	E 75° 08'59.483"
H	N 21° 20'37.644"	E 75° 07'22.527"
I	N 21° 19'26.288"	E 75° 09'17.483"
J	N 21° 19'17.578"	E 75° 07'08.011"
K	N 21° 18'40.115"	E 75° 04'18.963"
L	N 21° 18'43.667"	E 75° 02'22.092"
M	N 21° 19'58.981"	E 75° 00'00.000"
N	N 21° 22'07.632"	E 74° 58'19.210"
O	N 21° 23'07.692"	E 74° 58'20.532"

उपाबंध-II ग

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल पृथ्वी चित्र

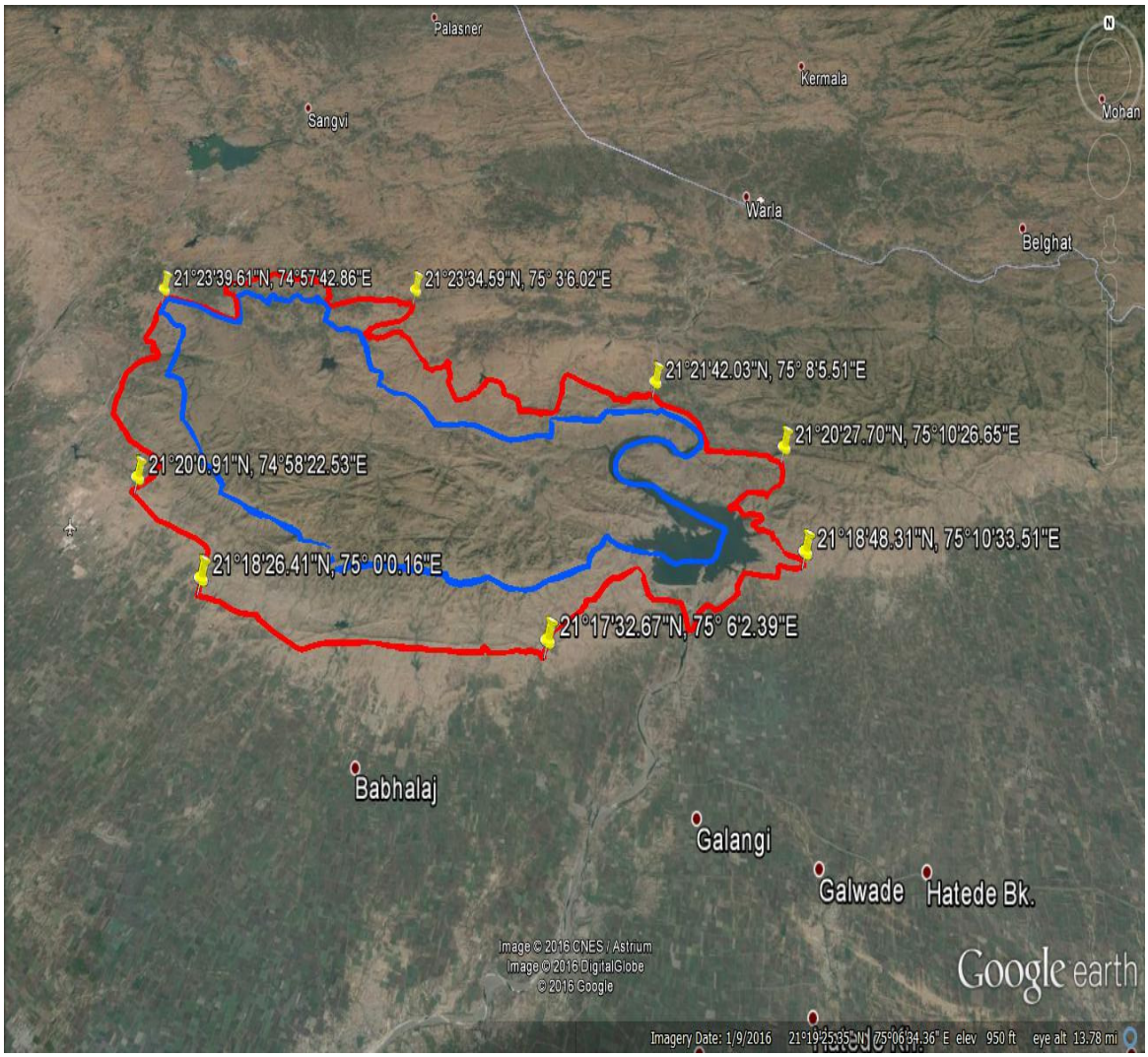

अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र

पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र

उपाबंध-II घ

अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग मानचित्र

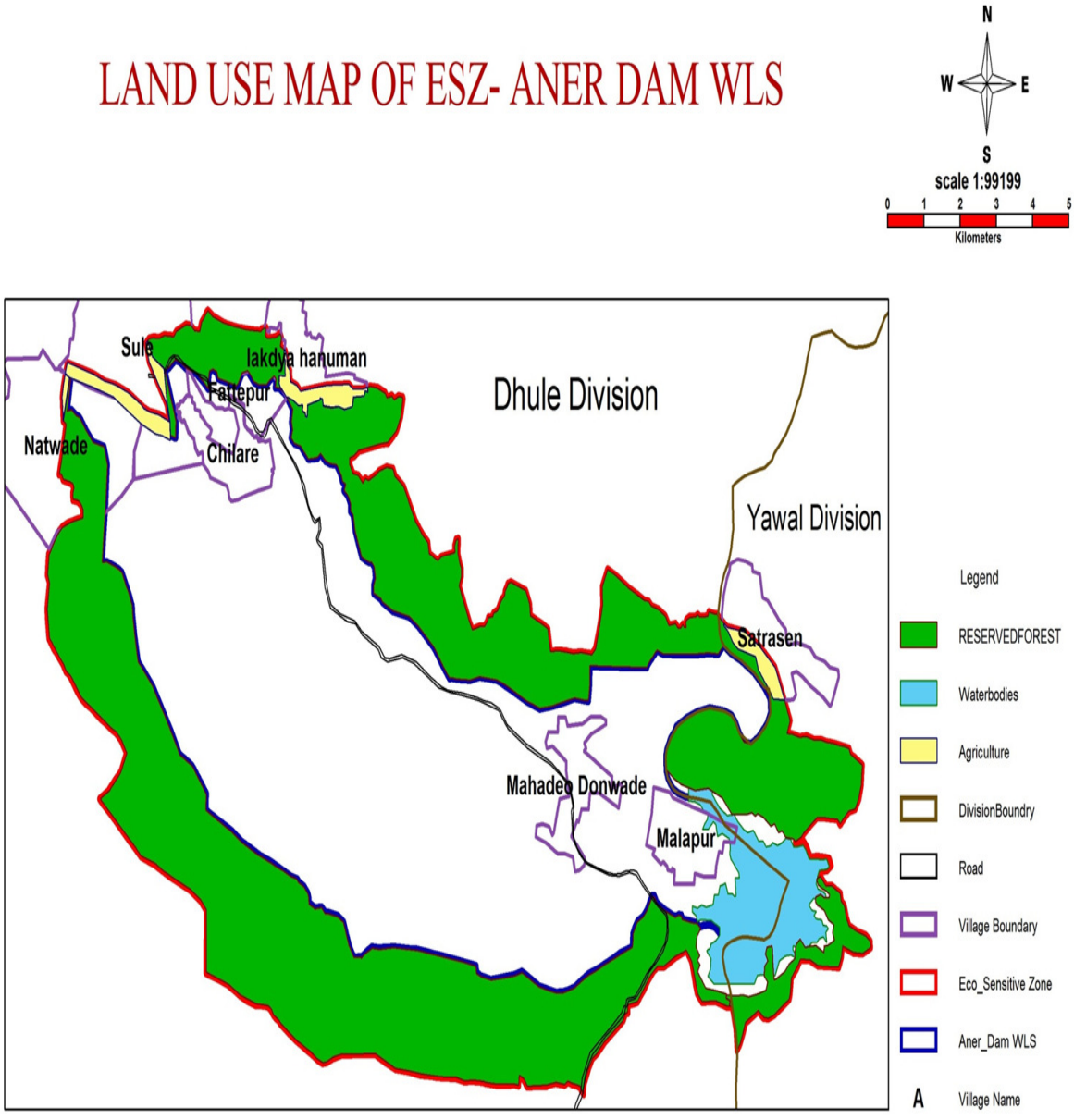

उपाबंध-II ङ

उत्तर महाराष्ट्र और पश्चिमी विदर्भा की ओर अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य का गलियारा मानचित्र

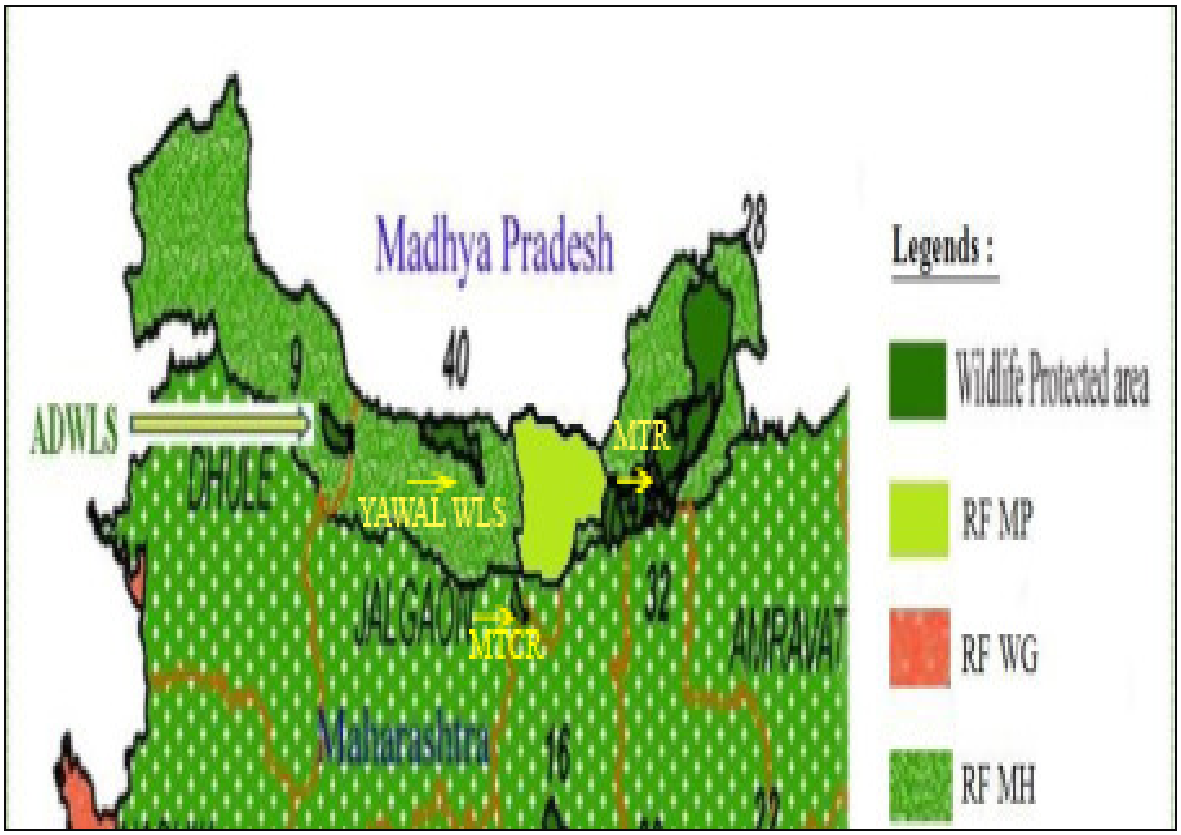

उपाबंध -III

सारणी क: संरक्षित क्षेत्र और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के निर्देशांक				अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य के निर्देशांक		
क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर		क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर
1	उ 21° 23'39.79''	पू 74° 57'44.07''		क	उ 21° 23'45.442''	पू 74° 57'48.956''
2	उ 21° 24'03.84''	पू 74° 59'03.22''		ख	उ 21° 23'13.279''	पू 74° 59'29.263''
3	उ 21° 23'36.72''	पू 75° 02'07.60''		ग	उ 21° 23'44.414''	पू 75° 01'04.430''
4	उ 21° 23'35.61''	पू 75° 03'06.30''		घ	उ 21° 21'53.204''	पू 75° 02'38.915''
5	उ 21° 22'22.591''	पू 75° 03'58.792''		ङ	उ 21° 21'09.459''	पू 75° 03'51.902''
6	उ 21° 21'24.113''	पू 75° 05'45.443''		च	उ 21° 20'58.867''	पू 75° 06'05.398''
7	उ 21° 22'07.503''	पू 75° 06'22.965''		छ	उ 21° 20'53.902''	पू 75° 08'59.483''
8	उ 21° 21'24.460''	पू 75° 08'46.038''		ज	उ 21° 20'37.644''	पू 75° 07'22.527''
9	उ 21° 20'31.773''	पू 75° 10'18.544''		झ	उ 21° 19'26.288''	पू 75° 09'17.483''
10	उ 21° 18'49.847''	पू 75° 10'30.658''		ञ	उ 21° 19'17.578''	पू 75° 07'08.011''
11	उ 21° 18'49.417''	पू 75° 07'40.062''		ट	उ 21° 18'40.115''	पू 75° 04'18.963''
12	उ 21° 17'33.815''	पू 75° 06'02.472''		ठ	उ 21° 18'43.667''	पू 75° 02'22.092''
13	उ 21° 17'48.361''	पू 75° 01'54.639''		ड	उ 21° 19'58.981''	पू 75° 00'00.000''
14	उ 21° 18'32.245''	पू 75° 00'07.825''		ढ	उ 21° 22'07.632''	पू 74° 58'19.210''
15	उ 21° 20'28.353''	पू 74° 58'42.891''		ण	उ 21° 23'07.692''	पू 74° 58'20.532''
16	उ 21° 21'27.392''	पू 74° 57'28.396''				
17	उ 21° 22'30.983''	पू 74° 58'00.118''				

उपाबंध IV

भू-निर्देशांकों के साथ अनेर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्रों की सूची

क्र. सं.	ग्रामों के नाम	अक्षांश	देशांतर
1	2	3	4
I	नटवाडा तहसील-शिरपुर (धुले जिला)	उ 21° 23 '38.659''	पू 74° 57' 08.240''
II	सुले तहसील-शिरपुर (धुले जिला)	उ 21° 23' 40.908''	पू 74° 59' 04.484''
III	लकडया हनुमान तहसील-शिरपुर (धुले जिला)	उ 21° 23 '35.226''	पू 75° 02' 20.462''
IV	सतरासेन तहसील-चोपडा (जलगांव जिला)	उ 21° 21 '37.549''	पू 75° 09' 05.185''

उपाबंध V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रपत्र.-

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (29 का 1986) की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2019

S.O. 27(E).—WHEREAS, a draft re-notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O.778 (E) dated the 21st February, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the draft notification were made available to the public on the 22nd February 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

WHEREAS, the Aner Dam Wildlife Sanctuary situated about 60 kilometres from Dhule in Dhule & Jalgaon districts of Maharashtra and lying between latitudes 21°23'02.37" towards East and 21°26'51" towards West and longitudes 75°0'56" towards North and 75° 06'57" towards South is spread over an area of **82.95 square kilometres**;

AND WHEREAS, important flora of Aner Dam Wildlife Sanctuary are teak (*Tectona grandis*), sadada (*Terminalia tomentosa*), shisam (*Dalbergia latifolia*), dhavada (*Anogeissus latifolia*), salai (*Boswellia serrata*), bondara (*Lagerstroemia parviflora*), sawar (*Salmalia malabarica*), tembhurn (*Diospyrous melanoxylon*), kusum (*Schleichera oleosa*), mahuwa (*Madhuca indica*), umbar (*Ficus glomerata*), kadai (*Streculia urens*), arjun sadada (*Terminalia arjuna*), awala (*Emblica officinalis*) khair (*Acacia catechu*), anjan (*Hardwickia binata*), palas (*Butea Monosperma*), medsing (*Dolichandrone falcata*), babul (*Acacia nilotica*), bor (*Zizyphus mauritiana*), apta (*Bauhinia racemosa*), arjun Sada (*Terminalia arjuna*), ghatbor (*Zizyphus xylopyra*), moha (*Madhuca indica*), nimb (*Azadiracta indica*), prosopis (*Prosopis juliflora*), salai (*Boswellia serrak*), etc.;

AND WHEREAS, Aner Dam Wildlife Sanctuary is known for its biodiversity where various species of birds, butterflies, snakes, mammals, rodent, frog, scorpion and grasses are found; leopard (*Panthera pardus),* Indian wolf (*Canis lupus),* Indian gazelle (*Gazella bennettii*) and fish eating eagle (*Pandion halietus)* are the Schedule I species under Wildlife Protection Act, 1972 found in the sanctuary. Other important species recorded from the sanctuary are barking deer (*Muntiacus muntjak),* Asiatic jackal (*Canis aureaus),* grey fox (*Vulpus bengalensis),* hyena (*Hyanena, hyanena),* wild boar (*Sus Scrofa),* porcupine (*Hystrix indica),* common mongoose (*Herpestes edwardsi),* Indian hare (*Lepus nigricolis),* wild cat (*Fellis chaus),* sarus crane (*Antigone Antigone),* forest owlet (*Hetero gloux blewitti),* lesser and jutant stock (*Leptoptilos javanicus),* Asian woollyneck (*Ciconia episcopus),* common quail (*Coturnix coturnix),* cattle egret (*Bulcus ibis),* great egret (*Ardea alba),* little cormorant (*Microcarbo niger),* grey heron (*Ardea cinerea),* brahminy schelduck (*Tadorna ferruginea),* common barn owl (*Tyto alba),* painted stork (*Mycteria leucacuphala),* etc.;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the Aner Dam Wildlife Sanctuary, as Eco-sensitive zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area of 0.1 kilometres to 3.0 kilometres from the boundary of the protected area of Aner Dam Wildlife Sanctuary in the State of Maharashtra (as shown in the map annexed to this notification as Annexure I), as the Aner Dam Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone), namely:

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-** (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from **0.1 kilometres** to **3.0 kilometres** around the boundary of Aner Dam Wildlife Sanctuary. The area of Eco-sensitive Zone is **69.42 square kilometres**.

   (2) The boundary description of Aner Dam Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-I.**

   (3) The map of the Aner Dam Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II A-E.**

   (4) The geo-coordinates of Aner Dam Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-III.**

   (5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.

   (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

   (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-

   (i) Environment;
   (ii) Forest and Wildlife;
   (iii) Agriculture;
   (iv) Revenue;
   (v) Urban Development;
   (vi) Tourism;
   (vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj; and
(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(10) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of the this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn

up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism.- (a) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Aner Dam Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that, beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel , resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and amendments thereto.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.– (a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016; published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws, efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units. –

(i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, otherwise specified in this notification and non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes. - The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
A. Prohibited activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other personal consumption. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 4th August 2006 in the matter of T.N. Godavarman

		Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21st April 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification and non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
B. Regulated activities		
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub- paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents. (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by the Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestays; and (v) Promoted activities listed in this Notification.

		Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
12.	Commercial use of firewood.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws.
13.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be allowed only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted shall require prior written permission from the concerned regulatory authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
14.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park and Eco-sensitive Zone area by aircraft, hot-air balloons.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws.
15.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted under the Zonal Master Plan shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 degree and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.

21.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycling and reuse of treated waste water, and the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
23.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
24.	Use of polythene bags.	Use of polythene bags are permitted within the Eco sensitive Zone. However, based on specific requirement, it shall be regulated under applicable laws.
25.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
26.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
27.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
28.	Recycling of bio degradable material.	Regulated under applicable laws.
29.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws. In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than one meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
30.	Trekking and camping.	Regulated under applicable laws.
31.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
32.	Community Reserve Nature.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted activities		
33.	Ongoing agriculture practices, plantation and other forestry activity.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
37.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
38.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.
39.	Plantation and other forestry activity.	Shall be actively promoted.
40.	Agro forestry.	Shall be actively promoted.
41.	Skill development.	Shall be actively promoted.
42.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
43.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
44.	Environment awareness.	Shall be actively promoted.
45.	Home stays in Eco-tourism activities.	Shall be actively promoted.

46.	Energy generation by waste material.	Shall be actively promoted.
47.	Bio diversity committee be registered.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:-

1.	Collector Dhule	Chairman
2.	Representative of Collector Jalgaon	Member
3.	C.E.O. Zilla Parishad, Dhule	Member
4.	One representative of NGO working in the field of Environment to be nominated by the State government for a term of the year in each case.	Member
5.	Expert Ecology	Member
6.	Expert Biodiversity	Member
7.	An expert in the area of environment	Member
8.	Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board of the area.	Member
9.	Senior Town Planner of the area	Member
10.	Conservator of Forests (Wildlife), Nashik	Member
11.	Deputy Conservator of Forests Dhule Division.	Member Secretary.

6. Terms of Reference. –

(1) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. Orders.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or National Green Tribunal.

[F.No.25/92/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ANER DAM WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE

The Aner Dam Wildlife Sanctuary horizontally spread over east-west side. The area included in Eco-sensitive Zone falls in Southern Tropical Dry Deciduous Forest type. The boundaries of the proposed Eco-sensitive Zone are bounded by compartments of Shirpur Range of Dhule Forest Division and compartments of Chopada Range of Yawal Forest Division and Revenue areas of Shirpur and Chopada Tahsils of District Dhule and Jalgaon respectively as shown below:

TABLE

North	Boundaries of Comptt No.1001, 1004, 1005, 1006, 992, 975 of Rohini round of Shirpur Range, Dhule Forest Division;
	Boundaries of Comptt No.969 of Sule round of Shirpur range and Revenue area of Sule and Lakdya Hanuman villages in ShirpurTahsil District Dhule.
West	Boundaries of Comptt No.982, 985, 986 of Sule round of Shirpur range and Revenue area of Sule and Natwade villages of ShirpurTahsil District Dhule.
South	Boundaries of Comptt No.1014, 1015 of Sule round of Shirpur Range;
	Comptt No. 1016, 1017, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1053, 1052, 1054, 1055, 1056, 1057 of Hisale round of Shirpur Range, Dhule Forest Division.
East	Boundaries of Comptt No. 282, 283, 287 of Lasur round of Chopada Range, Yawal Forest Division;
	Revenue area of Satrasen village Tahsil Chopda District Jalgaon.

ANNEXURE- II A

MAP OF ANER DAM WILDLIFE SANCTUARY AND ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

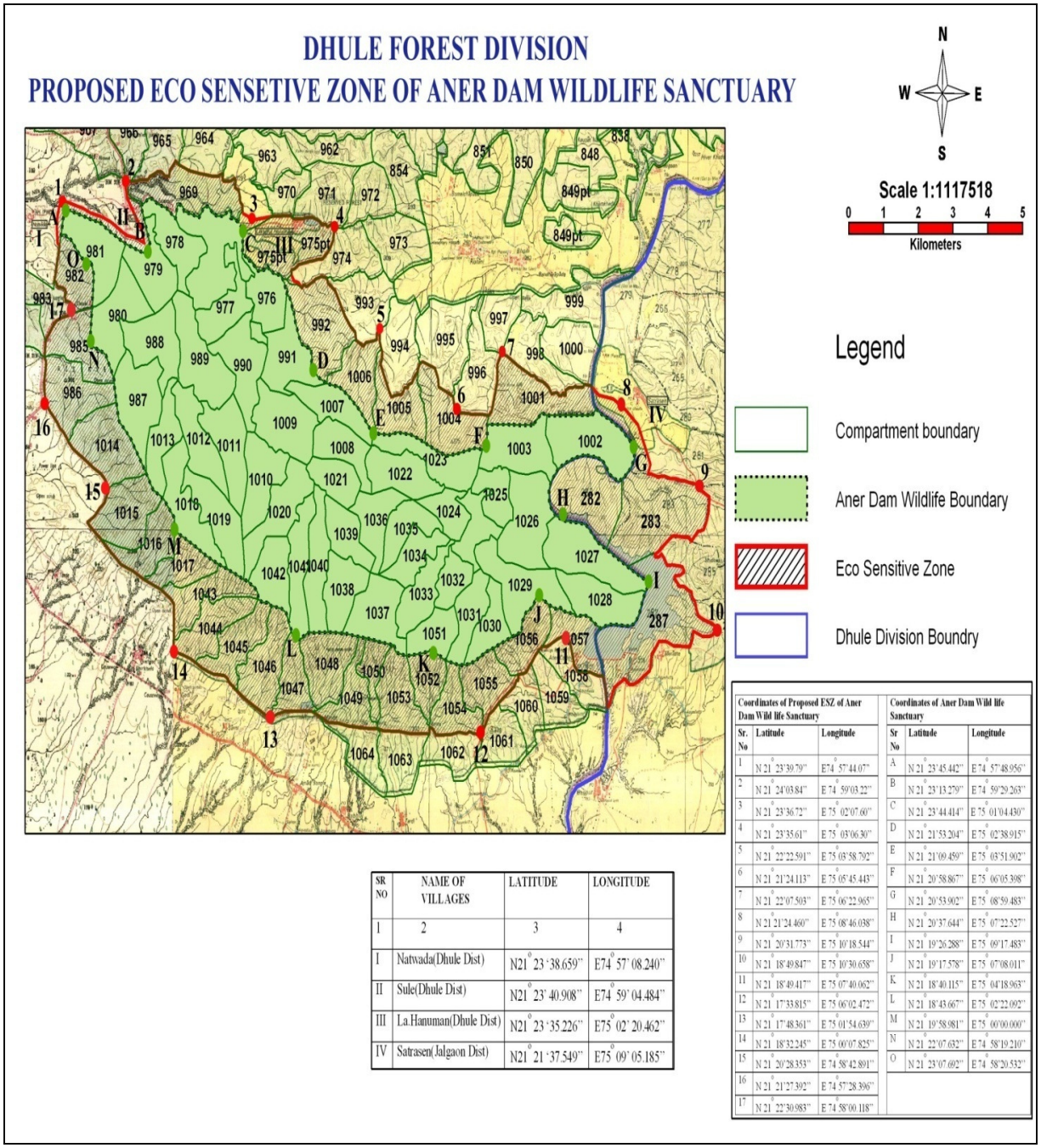

SR NO	NAME OF VILLAGES	LATITUDE	LONGITUDE
1	2	3	4
I	Natwada(Dhule Dist)	N21° 23'38.659"	E74° 57' 08.240"
II	Sule(Dhule Dist)	N21° 23' 40.908"	E74° 59' 04.484"
III	La.Hanuman(Dhule Dist)	N21° 23'35.226"	E75° 02' 20.462"
IV	Satrasen(Jalgaon Dist)	N21° 21'37.549"	E75° 09' 05.185"

Coordinates of Proposed ESZ of Aner Dam Wild life Sanctuary		
Sr. No	Latitude	Longitude
1	N 21° 23'39.79"	E74° 57'44.07"
2	N 21° 24'03.84"	E 74° 59'03.22"
3	N 21° 23'36.72"	E 75° 02'07.60"
4	N 21° 23'35.61"	E 75° 03'06.30"
5	N 21° 22'22.591"	E 75 03'58.792"
6	N 21° 21'24.113"	E 75 05'45.443"
7	N 21° 22'07.503"	E 75 06'22.965"
8	N 21 21'24.460"	E 75 08'46.038"
9	N 21° 20'31.773"	E 75° 10'18.544"
10	N 21° 18'49.847"	E 75 10'30.658"
11	N 21° 18'49.417"	E 75 07'40.062"
12	N 21° 17'33.815"	E 75 06'02.472"
13	N 21° 17'48.361"	E 75 01'54.639"
14	N 21° 18'32.245"	E 75 00'07.825"
15	N 21° 20'28.353"	E 74 58'42.891"
16	N 21° 21'27.392"	E 74 57'28.396"
17	N 21° 22'30.983"	E 74 58'00.118"

Coordinates of Aner Dam Wild life Sanctuary		
Sr No	Latitude	Longitude
A	N 21° 23'45.442"	E 74° 57'48.956"
B	N 21° 23'13.279"	E 74° 59'29.263"
C	N 21° 23'44.414"	E 75° 01'04.430"
D	N 21° 21'53.204"	E 75° 02'38.915"
E	N 21° 21'09.459"	E 75° 03'51.902"
F	N 21° 20'58.867"	E 75° 06'05.398"
G	N 21° 20'53.902"	E 75° 08'59.483"
H	N 21° 20'37.644"	E 75° 07'22.527"
I	N 21° 19'26.288"	E 75° 09'17.483"
J	N 21° 19'17.578"	E 75° 07'08.011"
K	N 21° 18'40.115"	E 75° 04'18.963"
L	N 21° 18'43.667"	E 75° 02'22.092"
M	N 21° 19'58.081"	E 75° 00'00.000"
N	N 21° 22'07.032"	E 74° 58'19.210"
O	N 21° 23'07.692"	E 74° 58'20.532"

ANNEXURE- II B

MAP OF ANER DAM WILDLIFE SANCTUARY AND ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

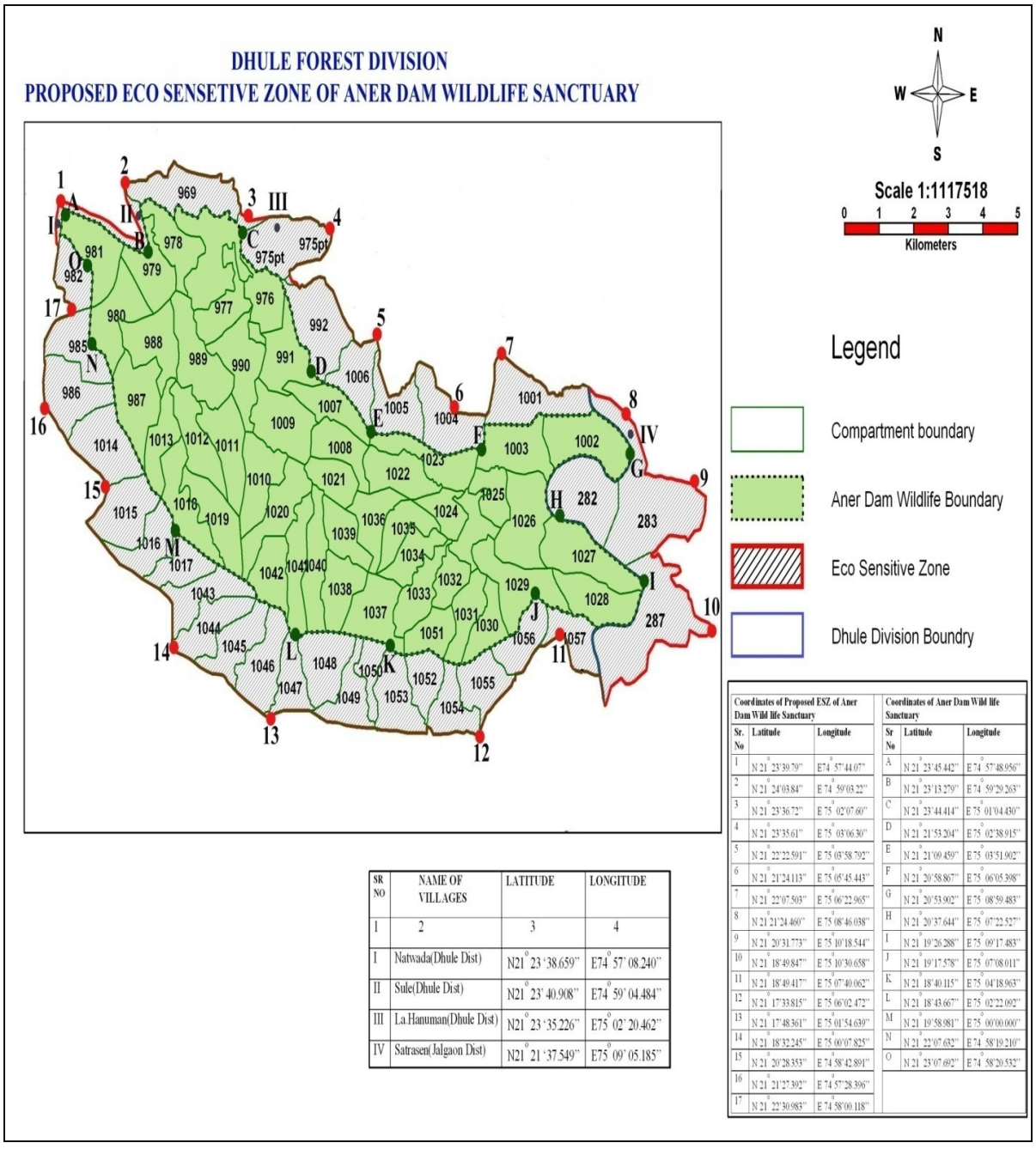

SR NO	NAME OF VILLAGES	LATITUDE	LONGITUDE
1	2	3	4
I	Natwada(Dhule Dist)	N21° 23 '38.659"	E74° 57' 08.240"
II	Sule(Dhule Dist)	N21° 23' 40.908"	E74° 59' 04.484"
III	La.Hanuman(Dhule Dist)	N21° 23 '35.226"	E75° 02' 20.462"
IV	Satrasen(Jalgaon Dist)	N21° 21 '37.549"	E75° 09' 05.185"

Coordinates of Proposed ESZ of Aner Dam Wild life Sanctuary		
Sr. No	Latitude	Longitude
1	N 21° 23'39.79"	E74° 57'44.07"
2	N 21° 24'03.84"	E 74° 59'03.22"
3	N 21° 23'36.72"	E 75° 02'07.60"
4	N 21° 23'35.61"	E 75° 03'06.30"
5	N 21° 22'22.591"	E 75 03'58.792"
6	N 21° 21'24.113"	E 75 05'45.443"
7	N 21° 22'07.503"	E 75 06'22.965"
8	N 21 21'24.460"	E 75 08'46.038"
9	N 21° 20'31.773"	E 75 10'18.544"
10	N 21° 18'49.847"	E 75 10'30.658"
11	N 21° 18'49.417"	E 75 07'40.062"
12	N 21° 17'33.815"	E 75 06'02.472"
13	N 21° 17'48.361"	E 75 01'54.639"
14	N 21° 18'32.245"	E 75 00'07.825"
15	N 21° 20'28.353"	E 74 58'42.891"
16	N 21° 21'27.392"	E 74 57'28.396"
17	N 21° 22'30.983"	E 74 58'00.118"

Coordinates of Aner Dam Wild life Sanctuary		
Sr No	Latitude	Longitude
A	N 21° 23'45.442"	E 74° 57'48.956"
B	N 21° 23'13.279"	E 74° 59'29.263"
C	N 21° 23'44.414"	E 75° 01'04.430"
D	N 21° 21'53.204"	E 75° 02'38.915"
E	N 21° 21'09.459"	E 75° 03'51.902"
F	N 21° 20'58.867"	E 75° 06'05.398"
G	N 21° 20'53.902"	E 75° 08'59.483"
H	N 21° 20'37.644"	E 75° 07'22.527"
I	N 21° 19'26.288"	E 75° 09'17.483"
J	N 21° 19'17.578"	E 75° 07'08.011"
K	N 21° 18'40.115"	E 75° 04'18.963"
L	N 21° 18'43.667"	E 75° 02'22.092"
M	N 21° 19'58.981"	E 75° 00'00.000"
N	N 21° 22'07.632"	E 74° 58'19.210"
O	N 21° 23'07.692"	E 74° 58'20.532"

ANNEXURE- II C

GOOGLE EARTH IMAGE OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

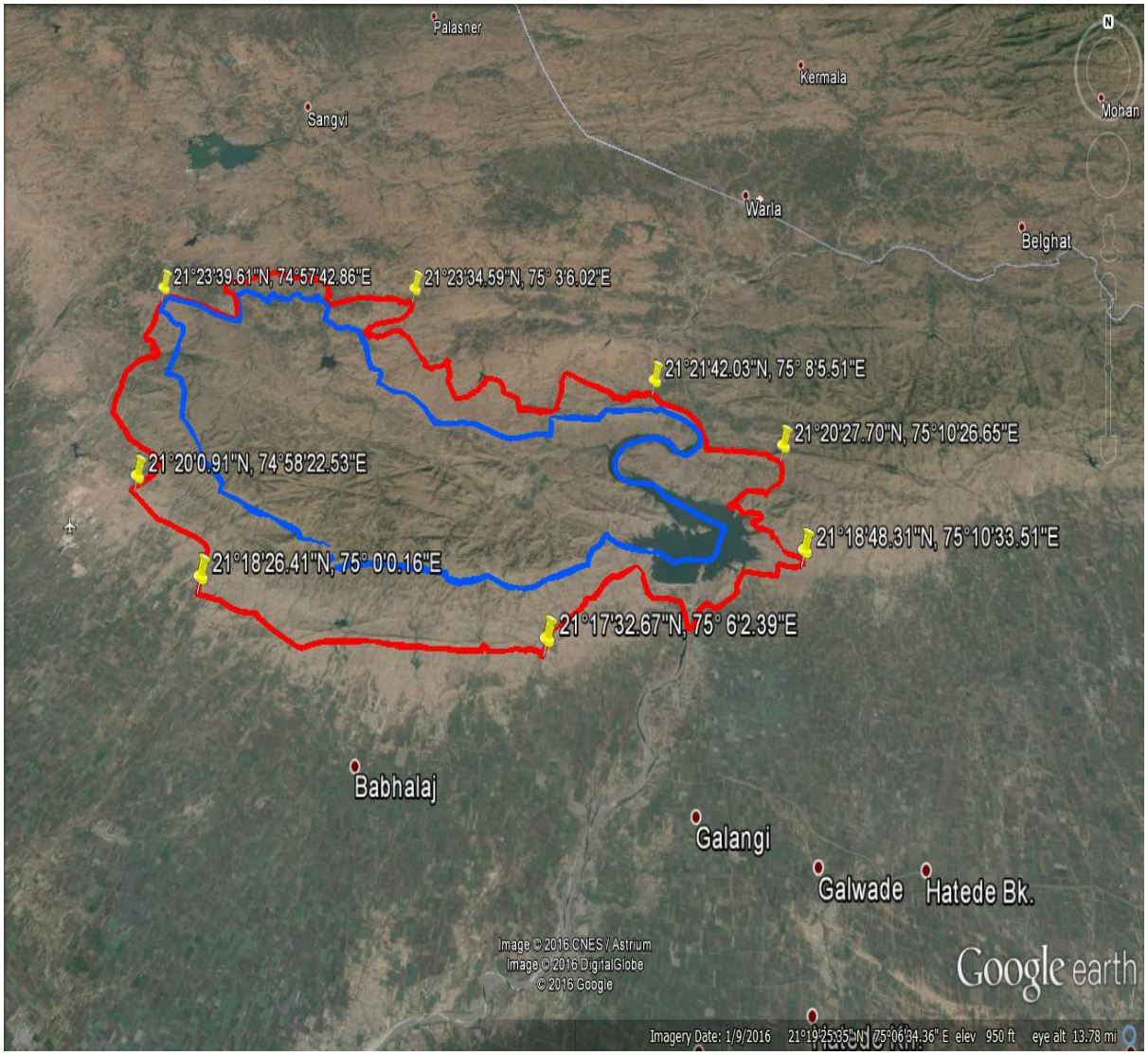

ADWLS Area **ESZ Area**

ANNEXURE- II D

LAND USE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE ANER DAM WILDLIFE SANCTUARY

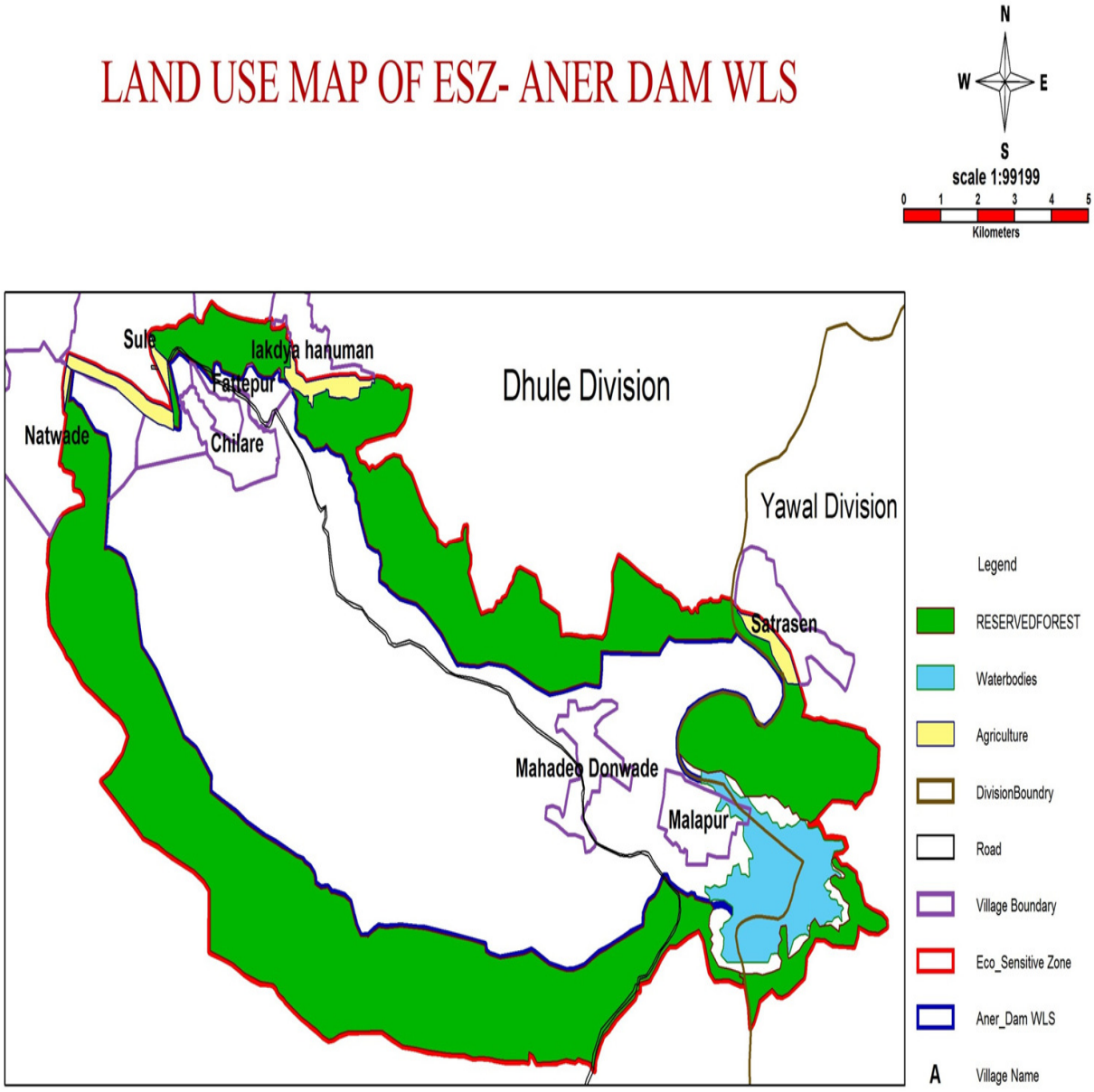

ANNEXURE- II E

CORRIDOR MAP OF ANER DAM WILDLIFE SANCTUARY TOWARD NORTH MAHARASHTRA AND WESTERN VIDARBHA

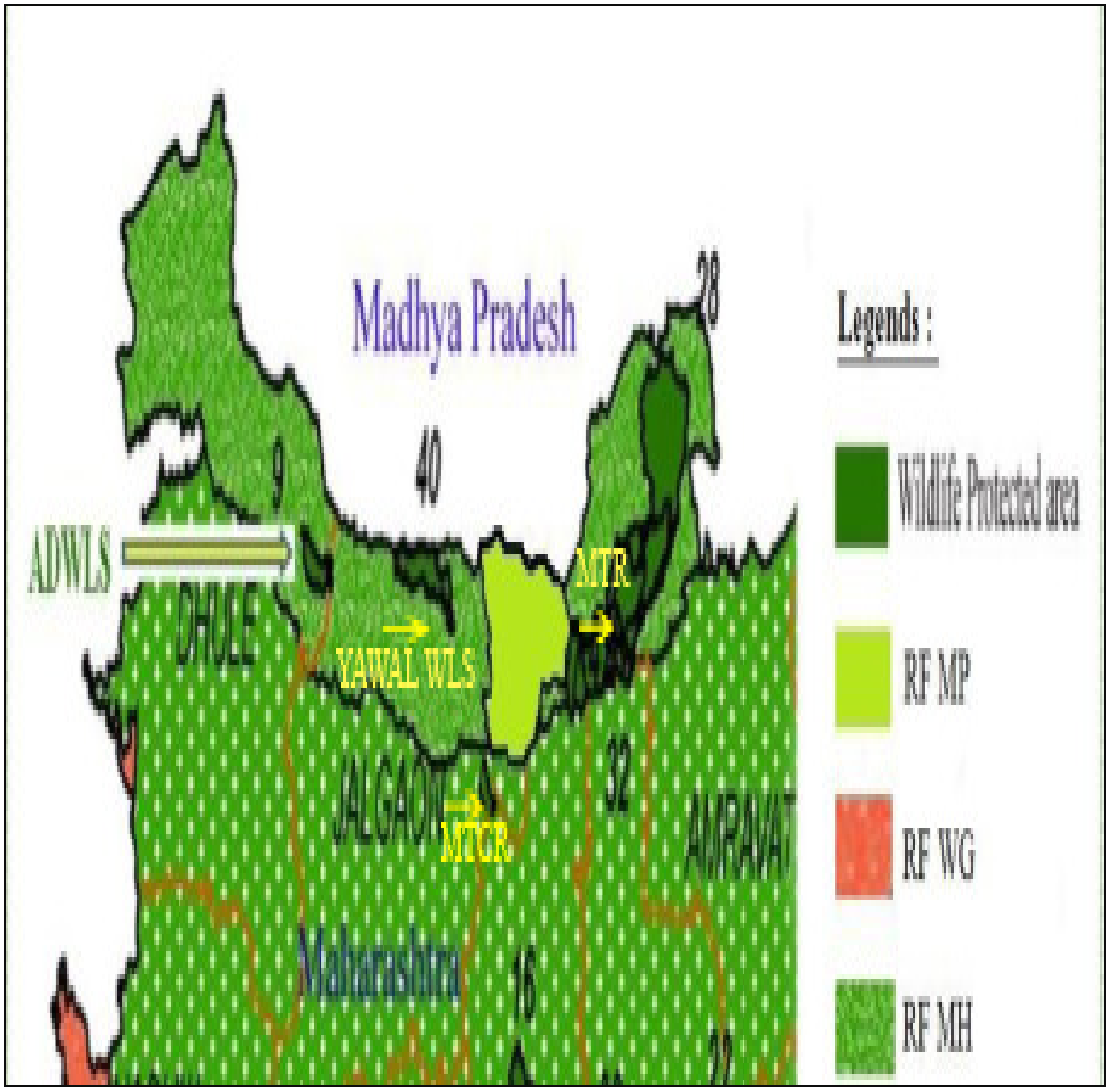

ANNEXURE-III

TABLE A: Geo-coordinates of Prominent Locations for Protected Area and Eco-sensitive Zone

Coordinates of Proposed Eco-sensitive Zone of Aner Dam Wildlife Sanctuary		
Sr. No.	**Latitude**	**Longitude**
1	N 21° 23’39.79’’	E 74° 57’44.07’’
2	N 21° 24’03.84’’	E 74° 59’03.22’’
3	N 21° 23’36.72’’	E 75° 02’07.60’’
4	N 21° 23’35.61’’	E 75° 03’06.30’’
5	N 21° 22’22.591’’	E 75° 03’58.792’’
6	N 21° 21’24.113’’	E 75° 05’45.443’’
7	N 21° 22’07.503’’	E 75° 06’22.965’’
8	N 21° 21’24.460’’	E 75° 08’46.038’’
9	N 21° 20’31.773’’	E 75° 10’18.544’’
10	N 21° 18’49.847’’	E 75° 10’30.658’’
11	N 21° 18’49.417’’	E 75° 07’40.062’’
12	N 21° 17’33.815’’	E 75° 06’02.472’’
13	N 21° 17’48.361’’	E 75° 01’54.639’’
14	N 21° 18’32.245’’	E 75° 00’07.825’’
15	N 21° 20’28.353’’	E 74° 58’42.891’’
16	N 21° 21’27.392’’	E 74° 57’28.396’’
17	N 21° 22’30.983’’	E 74° 58’00.118’’

Coordinates of Aner Dam Wildlife Sanctuary		
Sr. No	**Latitude**	**Longitude**
A	N 21° 23’45.442’’	E 74° 57’48.956’’
B	N 21° 23’13.279’’	E 74° 59’29.263’’
C	N 21° 23’44.414’’	E 75° 01’04.430’’
D	N 21° 21’53.204’’	E 75° 02’38.915’’
E	N 21° 21’09.459’’	E 75° 03’51.902’’
F	N 21° 20’58.867’’	E 75° 06’05.398’’
G	N 21° 20’53.902’’	E 75° 08’59.483’’
H	N 21° 20’37.644’’	E 75° 07’22.527’’
I	N 21° 19’26.288’’	E 75° 09’17.483’’
J	N 21° 19’17.578’’	E 75° 07’08.011’’
K	N 21° 18’40.115’’	E 75° 04’18.963’’
L	N 21° 18’43.667’’	E 75° 02’22.092’’
M	N 21° 19’58.981’’	E 75° 00’00.000’’
N	N 21° 22’07.632’’	E 74° 58’19.210’’
O	N 21° 23’07.692’’	E 74° 58’20.532’’

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGE WITH AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF ANER DAM WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl No.	NAME OF VILLAGES	LATITUDE	LONGITUDE
1	2	3	4
I	NatwadaTahsil- Shirpur (Dhule Dist)	N 21° 23 '38.659''	E 74° 57' 08.240''
II	SuleTahsil- Shirpur (Dhule Dist)	N 21° 23' 40.908''	E 74° 59' 04.484''
III	Lakdya Hanuman Tahsil- Shirpur (Dhule Dist)	N 21° 23 '35.226''	E 75° 02' 20.462''
IV	Satrasen Tahsil- Chopada (Jalgaon Dist)	N 21° 21 '37.549''	E 75° 09' 05.185''

Annexure –V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.01.07 19:25:15 +05'30'